

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): CENTRAL P.S.(थाना): ANAND PARBAT Year(वर्ष): 2015 FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0567 Date : 18/08/2015

2. Act(s)(अधिनियम): Section(s)(धारा(एँ)):
- IPC 1860 406/498A/34

3. Occurrence of Offence (अपराध की घटना):

(a) Day(दिन): Date From(दिनांक से): Date To(दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S.(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 18/08/2015 Time (समय): 19:30 hrs
(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं.): 032A Date/Time(दिनांक/समय): 18/08/2015 19:30

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

(a) Direction and Distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-WEST , 1.0 Km(s) Beat No(बीट सं.): 7
(b) Address(पता): 297/1, ,GALI NO. 10 ,NEHRU NAGAR, ,PREM NAGAR,, ANAND PARBAT, NEW DELHI
(c) In case, Outside the limit of the Police Station (यदि थाना सीमा के बाहर हैं):
Name of P.S(थाना का नाम): District(ज़िला):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJKUMARI (D/O) NEM SINGH
(b) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(c) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(d) Occupation (व्यवसाय):
(e) Address(पता): 297/1,, GALI NO. 10, NEHRU NAGAR,, PREM NAGAR,, ANAND PARBAT, NEW DELHI,
ANAND PARBAT, CENTRAL, DELHI, INDIA, 9811607024,

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary)(जात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का का पुरे विवरण सहित वर्णन): (5)

- DEVENDER KUMAR @DEV
(R/O) 14/2/2,, GALI NO. I, A BLOCK, KAMAL VIHAR,, BURARI, DELHI - 84,
- PREM VATI
- VIJAY

- SUDHA

- MAMTA

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

NO DELAY

9. Particulars of the properties stolen/involved (attach separate sheet if necessary):**Sl.No. (क्र.सं.) Property Type(Description)****Est. Value(Rs.)(मूल्य (रु में))****10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य):****11. Inquest Report / U.D. Case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण नं., यदि कोई हो):****12. F.I.R. Contents (attach separate sheet, if required)(प्रथम सूचना रिपोर्ट तथ्य):**

सेवा में श्रीमान सहायक आयुक्त दिल्ली पुलिस क्राईम वुमैन सैल, कमला मार्केट दिल्ली विषय:- प्रार्थी के साथ 'दहेज प्रताडना' के विषय में मान्यवर: निवेदन है कि मैं राजकुमारी 'दिपिका' D/o श्री नेम सिंह निवासी 297/1, गली नं० 10, नेहरू नगर, प्रेम नगर, नई दिल्ली- 8। मेरी शादी देवेन्द्र कुमार 'देव' S/o श्री विक्रम सिंह निवासी 14/2/2, गली नं० I-A-Block कमल विहार बुराडी दिल्ली -84 के साथ 06-5-2013 को हुई थी। मेरे पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च किया था। मैं अपनी शादी पर जब अपने ससुराल पहुंची तो दो दिन बाद ही मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं रहा, जो पैसा मेरे मां बाप ने मुझे दिए थे, बहाना बना कर मुझसे ले लिए। तथा उन्हीं पैसों से मेरे पति ने मुझे चांदी की अंगूठी मुंह दिखाई रश्म में दी तथा दो दिन बाद वह भी वापस ले ली। जिस दिन देव ने मुझसे पैसे लिए उस दिन सुबह मेरी बड़ी ननद सुधा ने मुझसे कहा कि शादी तो हमारी भी हुई थी तेरी कोई अनोखी शादी नहीं हुई, खड़ी होकर घर का काम कर ले नहीं तो तू देव को नहीं जानती, तुझे बहुत मारेगा। मैंने घर का सारा काम किया व चार दिन बाद मैं अपने मायके चली गई। करीब 20 दिन बाद मेरे पति अपने साथ मेरे मायके से अपने घर ले आए और शाम को बोले तेरे मां - बाप ने मुझे ये चैन व अंगूठी बेकार सी दी है, मेरे लिए तो बहुत अच्छे- 2 रिश्ते आ रहे थे। अबकि बार तू अपने मायके जायेगी तो मेरे लिए कम से कम 25 ग्राम की सोने की चैन एवं 25 ग्राम का सोने का हाथ का ब्रेसलेट लेकर आएगी वरना मैं तुझे छोड़ दुंगा मैंने कहा कि मेरे पिता ने तो पहले ही कुछ कर्जा करके मेरी शादी अपनी हैसियत से बढ़कर की है, वो तुम्हें इतनी भारी चैन और ब्रेसलेट कहां से देंगे। मेरे इतना कहते ही आग बबूला हो देव ने मुझे लात घुसे मारने शुरू कर दिए। जब मेरी चीख निकली तो मेरी सास व मेरी छोटी ननद ममता ने देव को समझाने की बजाए मुझसे बोली चुप हो जा ज्यादा ड्रामा मत कर, रहना है तो देव की मार भी सह तथा इसकी सारी बातें मान। मैंने अपनी सास व ननद को 'चैन ब्रेसलेट' की बात बताई तो उन दोनों ने भी मारना शुरू कर दिया। कहने लगी कि मेरे बेटे पर झुठा इल्जाम लगाती है और देव से बोली कि इसको लेकर ही क्यों आया है, अगर ये कहना नहीं मानती तो इसको इसके मायके छोड़ आइयो तेरी दुसरी शादी करा देंगे। इसके बाप को भी देख लेंगे व थाना कचहरी भी देख लेंगे हम किसी से नहीं डरते। मेरे पति देव व मेरी सास प्रेमवती ने मेरा सारा जेवर वापस ले लिया। मेरी रोजाना किसी ना किसी बहाने पिटाई होने लगी व मेरे साथ नौकरानी जैसा बर्ताव होने लगा। इसी हालात में करीब एक महिना मैं ससुराल में रही लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन मेरे साथ क्लेश ना हुआ हो। श्रीमान जी ऐसे हालात में ही मैं अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। तीसरी बार मेरे पति मुझे लेने मेरे मायके आए तो मैंने ससुराल जाने से मना किया तो मेरे पति ने मुझसे गलती मानी और कहा कि अब मैं तुझे ठीक रखूंगा अब तू मेरे साथ चल। मैं अपने पति के बहकावों में आकर ससुराल आ गई। वहां आकर फिर मेरे साथ पहले से भी ज्यादा अत्याचार होने लगा। रोजाना पिटाई व गालियां मुझे व मेरे मां बाप व भाईयों को भी सुनने को मिलती रही। मेरी सास प्रेमवती व मेरे जेठ विजय एवं मेरी दोनों ननद व मेरे पति 'देव' ने शाम को एक कमरे में बैठकर कुछ सलाह मनाई और अगले दिन सुबह मुझसे मेरे भाई की बिमारी का बहाना बनाकर मुझे मेरे मायके छोड़ने के लिए देव बाईक पर मुझे गांव ले जा रहे थे, रास्ते में कहीं दारू पी, मेरे मना करने पर मुझे रास्ते में ही थप्पड़ मारा व घर पहुंच कर शाम को मेरी 'मां' से देव ने कहा कि मुझे कुछ काम धन्धा करना है इसलिए मुझे 50,000/- (पचास हजार) रुपये की जरूरत है मुझे आपसे चाहिए। नहीं तो मैं आपकी बेटा को लेकर नहीं जाऊंगा। मैं सुबह तक इन्तजार करता हूँ। मेरे घर से पैसे न मिलने पर मुझे मायके (गांव) में छोड़कर चले आए। और अब तक मुझे लेने नहीं आए। इन बातों को करीब 15 महिने हो गए। मेरे सारे कपड़े जेवर दहेज का सारा सामान मेरी ससुराल में ही है। विशेष:- उपरोक्त सारी घटना को मैंने अपने परिवार जनों के साथ "सूर्यवंशी समाज सुधार समिति दिल्ली प्रदेश" में जाकर मामले को सुलझाने की कोशिश की तो उक्त समिति ने दोनों पक्षों को बुलाकर फैसला कराने की कोशिश की लेकिन समिति ने भी सारी गलती ससुराल वालों की ही निकाली है और कहा कि आपका मामला तो पुलिस थाने में ही जाकर निपटेगा। मान्यवर :- मेरे पति जब मुझे छोड़कर आए तो न जाने तीन महिने तक कहां रहे, उसी

दौरान मेरे जेठ 'विजय' व मेरी सास ने मिलकर मेरे परिवार वालों को फसाने के लिए थाना 'संत नगर बुराडी दिल्ली' में 23-10-2013 को झुठी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। श्रीमान जी, आपसे निवेदन है कि मेरी ससुराल वालों ने मुझ पर बहुत जुर्म किए हैं मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया है मेरा सारा जेवर, दहेज अपने यहां रख लिया है। मेरे ससुर विक्रम सिंह अपाहिज हैं उनकी घर में नहीं चलती, मेरी सास प्रेमवती, जेठ विजय, दोनो ननद सुधा व ममता एवं देव को बुलाकर समझाए व दंडित करें। तथा मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करें। जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं आपके सामने पेश हूंगी एवं जिस समिती के द्वारा हमने फैसला करना चाहा था, आप उन्हें बुलाकर सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनो पक्षों की पूर्णतया जांच पड़ताल की है। श्रीमान जी आपसे प्रार्थनी आशा करती है कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद लडके वालों का पता देवेन्द्र (देव) S/o विक्रम सिंह 14/2/2, गली नं० 1, A ब्लॉक कमल विहार, बुराडी, दिल्ली- 84देवेन्द्र 8860213945. प्रार्थनी हस्ताक्षर हिन्दी राजकुमारी राजकुमारी D/o श्री नेम सिंह 297/1, गली नं० 10, नेहरू नगर, प्रेम नगर नई दिल्ली- 110008। सुरेश भाई – 9811607024. D.O. to register a case U/S 406/498A/34 IPC & investigation hand over to SI V. Pathak Sd. English Sahdev Kumar Rana SHO/AP 18/8/15. कार्यवाही पुलिस अज थाना एक हिन्दी तहरीर जनाब SHO/ आनन्द पर्वत साहब ने शिकायतकर्ता श्रीमति राजकुमारी W/o श्री नेम सिंह R/o 297/1, Gali No. 10, नेहरू नगर प्रेमनगर मन HC DO मौसुल हुई असल तहरीर की मौसूलगी पर मन HC/DO ने मुकदमा नं० 567/15 U/S 406/498A/34 IPC दर्ज रजिस्टर Computer CIPA कराया गया नकल मिशल पुलिस फाईल असल मिशल तहरीर व FIR Computer Copy बाहुकम जनाब SHO साहब SI Vidyakar Pathak No D-3905 के हवाले की गई जो आगे की तफ्तीश अमल में लायेंगे दीगर नाकुलात बजरिये ढाक वाला अफसरान को अरसाल होंगे बकलम HC/DO.

13. Action Taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2:

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि किया गया अपराध मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(i) Registered the case and took up the investigation:

OR (या)

(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(ii) Directed (Name of the I.O.)(जांच अधिकारी का नाम): VIDYAKAR PATHAK

Rank (पद):

SI (SUB-INSPECTOR)

No(सं.): 28950627

to take up the investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) OR(या)

(iii) Refused investigation due to (जांच के लिए):

OR (के कारण इंकार किया या)

(iv) Transferred to P.S.(name)(थाना):

District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost : (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी) :

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.):

14. Signature / Thumb Impression

of the Complainant / Informant:

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer

Name(नाम): SHEO NARAIN

Rank (पद): HC (HEAD CONSTABLE)

No.(सं.): 28961071

15. Date and Time of despatch to the court:

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):